निविदा–प्रपत्र

(1)निविदा सूचना

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंह नगर कार्यालय हेतु टैक्सी के रूप में पंजीकृत वाहनों की मासिक एवं दैनिक किराये पर आपूर्ति दिनांक– 31.03.2020 तक की अवधि हेतु टू–बिड प्रणाली के अन्तर्गत किराये पर लिये जाने के सम्बन्ध में निम्न शर्तो के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है।

- निविदा मूल्य रु0 590 (जी०एस०टी० सहित) प्रति टेण्डर।
- निविदा की उपलब्धता की तिथि– 22.02.2019
- निविदा की जमा करने की अंतिम तिथि व समय –02.03.2019 अपरान्ह 12 बजे ।
- निविदा खोलने की तिथि व समय – 02.03.2019 शाम 3:00 बजे।

  निविदा से सम्बंधित विस्तृत जानकारी जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंह नगर कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(2)निविदा हेतु नियम एवं शर्तें

1. निविदायें दिनांक–02.03.2019 को 12 बजे तक प्राप्त की जा सकती है तथा दिनांक–02.03.2019 अपरान्ह 2 बजे तक जमा की जा सकेगी, जिसकी हार्ड कॉपी निविदा पेटी के माध्यम से दिनांक –02. 03.2019 अपरान्ह 2:00 बजे तक जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंह नगर से प्रस्तुत की जा सकेगी। निविदा उसी दिन सांय 3:00 बजे निविदादाताओं के सम्मुख खोली जाएगी। किसी भी कारण से नियत तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा एवं उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
2. निविदादाता को तकनीकी निविदा (वंछित अभिलेख एवं धरोहर धनराशि) तथा वित्तीय निविदा अलग–अलग डालनी होगी।
3. जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंह नगर के अन्तर्गत मासिक आधार पर एक इन्नोवा, एक xylo, दो Bolero, तथा एक Scorpio गाड़ी प्रयोग में लाये जाने प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त समय–समय पर भविष्य में मासिक व दैनिक आधार पर Bolero व Scorpio भी लिया जाना प्रस्तावित हो सकता है।
4. निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा को अलग– अलग लिफाफों में मुहरबंद कर तथा दोनों लिफाफों को सम्यक रूप से एक बड़े लिफाफे के अंदर रखकर उस पर **"टैक्सी के रूप में छोटा वाहन (कारों) को किराये पर लिए जाने पर निविदा"** लिखकर मुहरबंद करनी चाहिए।

ह० निविदादाता व मुहर

5. सर्वप्रथम तकनीकी निविदा को सक्षम/प्राधिकारी द्वारा विहित तारीख एवं समय पर खोला जाएगा। तकनीकी दृष्टि से अर्ह आपूर्तिकर्ताओं की सूची तैयार की जाएगी। केवल उन्ही निविदादाताओं की वित्तीय निविदा का लिफाफा खोला जाएगा, जिन्होंने तकनीकी निविदा में अहर्ता प्राप्त की है, तथा विलम्ब से प्राप्त निविदाओं (निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त) पर विचार नहीं किया जाएगा एवं उन्हें निरस्त माना जाएगा।

6. विभाग में प्रयोग होने वाले वाहनों का मॉडल वर्ष 2017 एवं उससे आगे का मान्य होगा ।

7. आपूर्ति की जाने वाला वाहन उचित गुणवत्ता (excellent condition) वाली होनी चाहिए। वाहन के टायर, बैटरी, हेड लाइट बीम ,ब्रेक इंडिकेटर, वाइपर, शीशा, दरवाजे एवं अन्य समस्त एसेसरीज उत्कृष्ठ गुणवत्ता के होने चाहिए।

8. वाहन नियमानुसार संभागीय/ उप संभागीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी के रूप में पंजीकृत होने चाहिए तथा करार की अवधि में वाहन के समस्त प्रपत्र यथा पंजीयन, परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदुषण प्रमाण पत्र आदि वैध होने चाहिए। पंजीयन शुल्क, परमिट शुल्क, फिटनेस शुल्क, मोटर वाहन कर, बीमा, चालक की वर्दी, चालक लाइसेंस, आदि पर सभी प्रकार के सम्बंधित व्यय आपूर्ति कर्ता द्वारा वहन किये जाएंगे। आपूर्ति किये जाने वाले वाहन मोटर यान अधिनियम, 1998 के अंतर्गत आल इंडिया परमिट से आच्छादित होने चाहिए। किसी भी निजी वाहन (नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल) की आपूर्ति नहीं की जाएगी।

9. वाहन पर तैनात किये जाने वाला चालक, वैध व्यवसायिक लाइसेंस धारक होना चाहिए। तथा चालक का ड्यूटी के दौरान नियमानुसार वर्दी में होना आवश्यक है। वाहन का चालक वाहन चलाने की दृष्टि से रिष्ट–पुष्ट (मेडिकल फिट) एवं पर्याप्त अनुभवी और वाहन चलाने में दक्ष होना चाहिए। चालक का आचरण मृदुभाषी अनुशासित होना अनिवार्य है।

10. आपूर्तिकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे चालक जो नशे के सेवन का अभ्यस्त हो, को वाहन पर किसी भी दशा में सेवायोजित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार ऐसे चालक जो नशे का सेवन कर वाहन चलाने अथवा खतरनाक ढंग से वाहन चलाने अथवा किसी पुलिस वाद आदि में दोषी पाया गया हो, को भी वाहन में कदापि सेवायोजित नहीं किया जाएगा। विभाग द्वारा किसी चालक के सम्बन्ध में पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

11. परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड अथवा सम्बंधित पंजीयनकर्ता प्राधिकारी अथवा विभाग के अधिकारी द्वारा वाहन चालक जो अपने कर्तव्यों का पालन उचित ढंग से करने में असमर्थ हैं अथवा उसका आचरण एवं कार्य संतोषजनक नहीं है, को हटाने हेतु आपूर्तिकर्ता को निर्देशित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपूर्तिकर्ता को तत्काल दूसरे चालक की व्यवस्था करनी होगी।

ह० निविदादाता व मुहर

12.विभाग मार्ग में होने वाली किसी प्रकार की क्षति अथवा अप्रत्याशित घटना /दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मार्ग में दुर्घटना की स्तिथि में किसी प्रकार के चिकित्सा बीमा मुआवजा एवं अन्य विधिक औपचारिकताओ का अनुपालन सम्बंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा।

13.मुख्यालय से बाहर की यात्राओं के दौरान आपूर्तिकर्ता का यह दायित्व होगा कि चालक के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो ताकि यात्रा के दौरान ईंधन मरम्मत अथवा वाहन सम्बन्धी अन्य व्यय किये जा सकें।

14.मार्ग/यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी होने पर आपूर्तिकर्ता को तत्काल अन्य वाहन की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी| यदि किसी समय आपूर्तिकर्ता वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने में असफल रहता है, तो सम्बंधित विभाग आपूर्तिकर्ता के व्यय पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत होगा, जिसका वास्तविक व्यय आपूर्तिकर्ता के बीजक में से समायोजित कर लिया जाएगा।

15.दैवीय आपदा, अन्य विभिषिकाओं के लिए विभाग जिम्मेदार न होगा किन्तु इसकी सूचना सम्बंधित पक्षकार को देना आवश्यक होगा।

16.किसी विवाद की स्तिथि में इसका निस्तारण Indian Arbitration and Reconcilation Act वर्ष 1940 के तहत देहरादून में होगा तथा आर्बोटरेटर की मुख्या प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर द्वारा से की जाएगी।

17.आपूर्तिकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सम्बंधित अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि से संपर्क रखा जाएगा तथा ड्यूटी के समयबद्ध सचांलन हेतु उनके द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन किया जाएगा तथा वाहन चालक को अनिवार्य रूप से मोबाइल रखना होगा।

18.वाहन का प्रयोग राज्य के भीतर एवं बाहर कहीं भी किया जा सकता है एवं आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी दशा में कार्य को पुनः ठेके (sub-let) पर नहीं दिया जाएगा।

19.ईंधन की आपूर्ति फर्म के द्वारा वहन की जाएगी। इस हेतु सम्बंधित आपूर्तिकर्ता को वाहन में नियमित रूप से लॉगबुक रखना आवश्यक होगा, और उस पर दैनिक आधार पर वाहन संचालन की प्रविष्टि करते हुए, उसे सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणित कराना होगा ।

20.वाहन में नियमानुसार स्टपनी, टूलकिट, फर्स्ट ऐड बॉक्स, आग बुझाने का यन्त्र भी आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर रखना आवश्यक है।

ह० निविदादाता व मुहर

21.यदि विभिन्न फर्मो के द्वारा प्रेषित न्यूनतम रेट विभिन्न मदों के लिए पृथक–पृथक L 1 आते हैं, तो नॉन ए०सी० इंडिका वाहन हेतु मासिक किराये के L 1 होने वाली फर्म को अन्य दैनिक किराये रेट की मदों में प्रस्तुत किये गए L 1 दरों तक अपनी निविदा कम करने हेतु अवसर दिया जाएगा एवं उसकी सहमति होने पर संपूर्ण आपूर्ति का कार्य एक ही फर्म को दिया जाएगा अन्यथा की दशा में प्रत्येक फर्म को जिन मदो में दरें L 1 हैं उन्ही की आपूर्ति हेतु पृथक–पृथक आपूर्ति करने का कार्य–आदेश जारी किया जायेगा।

भुगतान की विधि :–

1. कार्य की पूर्ति पर सम्बंधित आपूर्तिकर्ता को उसके द्वारा प्रस्तुत बिल एवं लॉगबुक की प्रमाणित छायाप्रति के आधार पर भुगतान विभाग द्वारा मासिक आधार पर किया जाएगा। सेवा कर भुगतान पृथक से नियमानुसार विभाग द्वारा किया जाएगा।
2. सभी प्रकार के टोल टैक्स, प्रवेश कर, पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा किया जाएगा।
3. अन्य राज्यों में वाहन के आवागमन की स्थिति में अन्य प्रदेशो के कर आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा किया जाएगा।

सेवा प्रदान करने में विलम्ब हेतु शर्तें/दर अनुबन्ध का निरस्तीकरण

निम्नलिखित अवसरों पर कार्य प्रभारित प्रतिभूति को जब्त करते हुए निविदा को समाप्त कर दिया जाएगा ।

1. यदि आपूर्तिकर्ता समय पर वाहन उपलब्ध करने में विफल रहता है।
2. आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं संतोषजनक नहीं है।
3. वाहन की आवश्यकता माह में सभी दिनों पर प्रातः 9:00 से 8:00 रात्रि तक सामान्यतः होगी। माह में 02 दिन (प्रत्येक 15 दिन में एक) का अवकाश वाहन के अनुरक्षण हेतु दिया जाएगा। रात्रि चार्ज निर्धारित समयविधि के पूर्व अथवा पश्चात पर रु 100.00 प्रतिदिन की दर से देय होगा, जो माह में अधिकतम 15 दिन होगा।
4. वाहन चालक/ स्वामी द्वारा निविदा की शर्तो का पालन न करने पर कारण बताओ नोटिस निर्गत किया जाएगा एवं प्रयुत्तर असंतोषजनक पाए जाने पर निविदा निरस्त की जाएगी एवं परफॉरमेंस सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी।

ह० निविदादाता व मुहर

5. योजित किये जाने वाले वाहन अनिवार्य रूप से 2017 के या उसके आगे के मॉडल के रूप में व्यवसायिक श्रेणी में पंजीकृत होने चाहिए तथा सभी वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण होने एवं उनका पालन किये जाने का दायित्व निविदादाता का होगा।

22. निविदादाता को निविदा के साथ EMD के रूप में रू0 5,000/–(रू0 पॉच हज़ार मात्र) का सी०डी०आर०/एफ० डी०आर०/एन०एस०सी०जो उत्तराखण्ड आवास एवं जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ऊधमसिंह नगर के पक्ष में देय हो, तथा तीन माह हेतु वैध हो को संलग्न करना अनिवार्य है। असफल निविदाता की EMD राशि, निर्णय होने पर वापिस की जाएगी।

23. निविदादाताओं को तकनीकी निविदा के साथ निम्न अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा।

I. फर्म के नाम का आयकर विभाग का PAN नंबर तथा वर्ष (2017–18) (2018–19) के आयकर रिटर्न की छाया प्रति।

II. वाणिज्यकर विभाग द्वारा फर्म के नाम जारी TIN नंबर की छाया प्रति।

III. निविदादाता/फर्म एवं वाहन का परिवहन विभाग में पंजीकरण का प्रमाण पत्र की छाया प्रति।

IV. निविदादाता/फर्म द्वारा सर्विस टैक्स हेतु पंजीकरण का प्रमाण पत्र की छाया प्रति।

V. मांगे गए वाहनों के मॉडल के न्यूनतम 02 वाहनों का रजिस्ट्रेशन निविदादाता/फर्म अथवा उनके पारिवारिक सदस्य के नाम होना आवश्यक होगा जिसकी तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी। सभी वाहनों का मॉडल 2016 वर्ष या उसके पश्चात के होने चाहिए, इसकी प्रति संलग्न भी करें।

VI. दरों की वैधता की पुष्टि करते हुए रु 100.00 का इंडियन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, जिसमे निविदादाता का हस्ताक्षर हो।

VII. EMD की धनराशि का CDR/FDR/NSC मूल रूप में।

VIII. निविदादाता फर्म द्वारा विगत दो वर्षों का किसी राजकीय विभाग अथवा संस्थान में संतोषजनक कार्य अनुभव होना आवश्यक है जिस हेतु प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

24. वित्तीय निविदा प्रस्तुत करते समय निम्न बिन्दुओ को ध्यान में रखें –:

मासिक आधार पर योजित किये जाने पर वित्तीय निविदा शुद्ध मासिक किराया का अंकन किया जाए। डीजल की कीमत की प्रतिपूर्ति अंकित औसत के आधार पर गणना कर उस माह के डीजल रेट के आधार पर पृथक से की जाएगी।

25. दैनिक आधार पर योजित वाहन को न्यूनतम 40/80 किमी० प्रतिदिन की यात्रा के आधार पर डीजल सहित रेट प्रस्तुत किया जाएगा। निर्धारित सीमा से अधिक चलने पर रु० 10.00 प्रति किमी० पृथक से देय होगा।

ह० निविदादाता व मुहर

26. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी तथा दरें समान होने पर नवीनतम मॉडल के वाहन को वरीयता दी जाएगी।

27. निविदा स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंह नगर का होगा, निविदा कारण बताये बिना निरस्त की जा सकती है। किसी भी विवाद में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंह नगर का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

28. सफल निविदादाता को रु० 100.00 के नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।
अनुबंध की अवधि दिनांक– 31.03.2020 तक के लिए मान्य होगा सक्षम अधिकारी विशेष परिस्तिथियों में इसे आगे की अवधि हेतु भी बढ़ाए जाने पर विचार कर सकता है। अनुबंध के साथ रु० 25,000/–(रु० पच्चीस हजार मात्र) की प्रतिभूति FDR/NSC/BANK GUARANTEE के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, जो जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंह नगर के नाम बंधक हो एवं उधमसिंह नगर में Payable होगा। पूर्व प्रेषित EMD को इसमें समायोजित किया जा सकता है एवं उसकी वैधता न्यूनतम अनुबंध अवधि के तीन माह पश्चात तक होगी।

29. उक्त के सम्बन्ध में प्री–बोर्ड बैठक जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंह नगर में दिनांक–04.03.19 को पूर्वान्ह 11:00 बजे आहुत की जाएगी।

ह० निविदादाता व मुहर

वित्तीय निविदा प्रारूप

वित्तीय निविदा (पृथक लिफाफे में सील करें)

क0 सं0	वाहन का नाम	मासिक किराया बिना ईंधन	औसत / लीटर	दैनिक किराया ईंधन सहित	
				40 कि0मी0	80 कि0मी0
1.	बोलेरो ए0सी0		13		
2.	बोलेरो नान ए0सी0		14		
3.	इनोवा ए0सी0		11		
4.	टी यू वी ए0सी0		11		
5.	स्कारपीयो ए0सी0		11		
6.	xylo ए0सी0		11		

1. यह भी प्रमाणित करता हूँ कि निविदा की सभी शर्ते एवं नियम तथा आवश्यक सूचनाओं को पढ़ लिया है, समझ लिया है तथा बिना शर्त संलग्न दरें दे रहा हूँ। कृपया संलग्न अंकित दरों को स्वीकृत करने का कष्ट करें।
2. दैनिक आधार पर योजित वाहनों में निर्धारित किमी० से अधिक चलने पर रु० 10/– प्रति किमी० की दर से अतिरिक्त देय होगा।
3. यदि विभिन्न फर्मों के द्वारा प्रेषित न्यूनतम रेट विभिन्न मदों के लिए पृथक–पृथक L। आते हैं, तो नॉन ए०सी० इंडिका वाहन हेतु मासिक किराये के L। होने वाली फर्म को अन्य दैनिक किराये रेट की मदों में प्रस्तुत किये गए L। दरों तक अपनी निविदा कम करने हेतु अवसर दिया जाएगा एवं उसकी सहमति होने पर संपूर्ण आपूर्ति का कार्य एक ही फर्म को दिया जाएगा अन्यथा की दशा में प्रत्येक फर्म को जिन मदों में दरें L। हैं उन्ही की आपूर्ति हेतु पृथक–पृथक आपूर्ति करने का कार्य–आदेश जारी किया जाएगा।

फर्म स्वामी के हस्ताक्षर............................

दिनांक–..

ह० निविदादाता व मुहर

3–तकनीकी निविदा प्रारूप

	निविदादाता / फर्म का नाम व पूरा पता	
2.	फर्म की ई–मेल आई0डी0	
3.	निविदादाता फर्म का वाणिज्यकर पंजीयन संख्या (GSTIN No.)	
4.	निविदादाता फर्म का आयकर PAN No	
5.	फर्म का जी0एस0टी0 में पंजीकरण का प्रमाण पत्र	
6.	वित्तीय वर्ष ...... में जमा की गयी आयकर विवरणी की प्रतिलिपि संलग्न करें।	
7.	फर्म के परिवहन विभाग में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र ।	
8.	फर्म / प्रोपराइटर अथवा उनके पारिवारिक सदस्यों के नाम वांछित वाहनों में से कम से कम 02 गाड़ियां पंजीकृत होनी अनिवार्य होंगी यह गाड़ियां वर्ष 2014 या उससे आगे के मॉडल की होंगी (प्रमाण पत्र के रूप में RC की प्रति संलग्न)	
9.	निविदा फार्म के साथ संलग्न की गई रू0 25,000 धनराशि की EMD का विवरण CDR/FDR/NSC संख्या–	
10.	निविदा प्रपत्रों के सम्पूर्ण पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर उसकी मूल प्रति।	
11.	दरों की वैधता की पुष्टि करते हुये रू0 100.00 का इंडियन नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर, जिसमें निविदादाता का हस्ताक्षर हो।	
12.	विगत दो वर्षो का संतोषजनक कार्य का अनुभव जोकि सर्वप्रथम इस विभाग का हो अन्यथा की दृष्टि में किसी अन्य विभाग / संस्थान का हो (प्रमाण पत्र, संलग्न करें)	

ह0 निविदादाता व मुहर

घोषणा

आपके कार्यालय के विज्ञापन दिनांक.............................के सन्दर्भ में आपके कार्यालय में मासिक/दैनिक आधार पर छोटे वाहनों की आपूर्ति हेतु नियम व शर्ते क्र0 सं0 01 से 28 तक पढ़ ली हैं, जिसके आधार पर आपूर्ति करने हेतु सहमति प्रदान करता हूँ तथा साथ ही आर्नेस्टमनी के रूप में रू0 .... मात्र की ....संख्या .... दिनांक .... बैंक...संलग्न है। यदि निविदा की शर्तो का पालन नहीं करते हैं अथवा ठेके को हस्ताक्षरित नहीं करते हैं तो जमा अर्नेस्टमनी को उत्तराखण्ड शासन के पक्ष में जब्त कर ली जाय। जो कि प्लेज्ड (Pledged) की हुई है। इसका उत्तर दायित्व स्वयं मेरा/हमारा होगा।

दिनांक : ....

निविदादाता के हस्ताक्षर–
प्रतिनिधि का नाम–
दूरभाष संख्या–
मोबाइल–

निविदा का क्रमांक :–

जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर :–

ह0 निविदादाता व मुहर